संख्या-323/एक-10-2024

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 01/03/2024

विषय- प्रदेश के जलप्लावित ग्रामों में 400 नौका क्रय हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4959/रा0आ0का0/2023-24 दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 एवं अपने पत्र संख्या-1114/रा0आ0प्र0प्रा0/2023-24, दिनांक 15.02.2024 तथा पत्र संख्या-1180/फ0वा0ई0सी0/2023-24, दिनांक 28.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के जल प्लावित ग्रामों में 400 नौका क्रय हेतु रू0 40.00 करोड़ की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में बाढ प्रभावित गांव प्रमुख रूप से राप्ती, गंगा, घाघरा, शारदा, आमी, बूढी राप्ती, जमुवार नदियों के तट पर स्थित जनपदों के संबंध में रिमोट सैंसिंग से प्राप्त सूचना के अनुसार बाढ़ के दौरान गंभीर रूप से जलमग्न होने वाले जनपदों में संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील गांवों को चिन्हित करते हुए प्रथम चरण में 400 इन्फ्लेटेबिल बोट के वितरण का निम्नवत प्रस्ताव दिया गया है:-

| Inflatable Rubber Boat/OBM | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sr.No.** | **District** | **Classification** | **No. of Affected Villages** | **Rationalisation of Boats** |
| 1 | Aligarh | Sensitive | 29 | 3 |
| 2 | Ambedkar Nagar | Hyper Sensitive | 23 | 4 |
| 3 | Ayodhya | Hyper Sensitive | 39 | 6 |
| 4 | Azamgarh | Hyper Sensitive | 116 | 18 |
| 5 | Badaun | Hyper Sensitive | 21 | 4 |
| 6 | Bahraich | Hyper | 53 | 9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sensitive | | |
| 7 | Ballia | Hyper Sensitive | 214 | 30 |
| 8 | Balrampur | Hyper Sensitive | 208 | 31 |
| 9 | Barabanki | Hyper Sensitive | 96 | 16 |
| 10 | Bareilly | Sensitive | 21 | 3 |
| 11 | Basti | Hyper Sensitive | 83 | 16 |
| 12 | Bijnor | Hyper Sensitive | 101 | 10 |
| 13 | Bulandshahr | Sensitive | 36 | 3 |
| 14 | Deoria | Hyper Sensitive | 115 | 19 |
| 15 | Farrukhabad | Hyper Sensitive | 54 | 8 |
| 16 | Gautambudh Nagar | Sensitive | 15 | 3 |
| 17 | Ghazipur | Hyper Sensitive | 36 | 10 |
| 18 | Gonda | Hyper Sensitive | 56 | 9 |
| 19 | Gorakhpur | Hyper Sensitive | 605 | 60 |
| 20 | Hamirpur | Sensitive | 160 | 3 |
| 21 | Hardoi | Sensitive | 106 | 4 |
| 22 | Kasganj | Sensitive | 30 | 5 |
| 23 | Kushinagar | Hyper Sensitive | 15 | 5 |
| 24 | Lakhimpur Kheri | Hyper Sensitive | 11 | 3 |
| 25 | Lucknow | Sensitive | 16 | 3 |
| 26 | Maharajganj | Hyper Sensitive | 27 | 4 |
| 27 | Mau | Hyper Sensitive | 30 | 5 |
| 28 | Mirzapur | Moderate | 5 | 3 |
| 29 | Moradabad | Sensitive | 93 | 3 |
| 30 | Pilibhit | Hyper Sensitive | 79 | 5 |
| 31 | Prayagraj | Sensitive | 17 | 3 |
| 32 | Rampur | Sensitive | 150 | 3 |
| 33 | Saharanpur | Sensitive | 104 | 3 |
| 34 | Sant Kabir Nagar | Hyper | 68 | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sensitive | | |
| 35 | Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) | Moderate | 2 | 1 |
| 36 | Shahjahanpur | Sensitive | 2 | 1 |
| 37 | Shamli | Sensitive | 28 | 3 |
| 38 | Shravasti | Hyper Sensitive | 19 | 3 |
| 39 | Siddharth Nagar | Hyper Sensitive | 415 | 50 |
| 40 | Sitapur | Hyper Sensitive | 37 | 10 |
| 41 | Unnao | Sensitive | 324 | 5 |
| 42 | Varanasi | Sensitive | 12 | 3 |
| **Total** | | | **3671** | **400** |

1. - इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त ग्रामों में वार्षिक बाढ़ की आवर्ती समस्या स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और आजीविका के लिए, बाढ के दौरान जल प्लावित ग्रामों में प्रथम चरण में इन्फ्लेटेबिल बोट क्रय कर वितरित किये जाने हेतु रू0 40.00 करोड के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 25,00,00,000/- (रू0 पच्चीस करोड मात्र) की धनराशि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**<u>नियम व शर्तें / प्रतिबंधों</u>**

(1) रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर से बाढ प्रभावित ग्रामों की अपडेटेड सूची प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायगी।

(2) बोट चलाने हेतु स्थानीय नाविकों/गोताखोरों/आपदा मित्रों/कुशल तैराकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(3) प्रशिक्षण हेतु एन0डी0आर0एफ0/सेना/कोस्टगार्ड के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

(4) बोट्स का क्रय व चालकों के प्रशिक्षण का कार्य उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(5) उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा ही बोट्स के रख रखाव एवं संचालन हेतु एस0ओ0पी0 तैयार की जायेगी, जिसमें नावों के रख रखाव व मरम्मत हेतु प्राधिकरण के स्तर से ए0एम0सी0 की भी व्यवस्था होगी, ताकि खराब नौका का तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो सके।

(6) उक्त नावों के क्रय के बाद इन नावों की उपयोगिता हमेशा बनी रहे इस हेतु भविष्य की कार्य योजना भी बनायी जायेगी और इन नावों को स्थानीय नाविकों को उनकी ओनरशिप देते हुए उसकी उपयोगिता किये जाने की व्यवस्था राहत आयुक्त कार्यालय एवं उ0प्र0 राज्य

आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एस0ओ0पी0 तैयार कराते हुए इन नावों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि क्रय किये गये नावों का बाढ के समय के उपरान्त उपयोग भी हो सके और उनका अनुरक्षण भी होता रहे।

(7) नावों का क्रय ई टेन्डर/जैम पोर्टल के माध्यम से एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिये गये फीड बैक के अनुसार नावों के क्रय हेतु स्पेसिफिकेशन, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ एन0डी0आर0एफ0/कोस्ट गार्ड से प्राप्त किया गया है, के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्राधिकरण द्वारा बाढ प्रभावित ग्रामों के जिलाधिकारियों के साथ इन नावों के रख-रखाव एवं संचालन की व्यवस्था बाढ के दौरान सुनिश्चित की जायेगी।

(9) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की गाइड लाइन दिनांक 14 जनवरी, 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(11) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा, यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(12) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(13) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वितीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(15) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(16) अनुमोदित कार्य योजना के अंतर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय एक साथ चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रु0 25,00,00,000/- (रु0 पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by
शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
Date: 01-10-2024 17:21:53
Reason: Approved

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्याः- 323(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0 ।
2. राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4. विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2023-2024**
**आवंटन दिनांक-06/03/2024**

**प्रेषण संख्या:-** 323
**आवंटन आदेश संख्या:-** 002-323
**अनुदान संख्या:-** 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 24-वृहत् निर्माण कार्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a | वर्तमान | 250000000 | 250000000 |
| | | प्रगामी | 568167000 | 568167000 |
| | योग | वर्तमान | 250000000 | 250000000 |
| | | प्रगामी | 568167000 | 568167000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया छप्पन करोड़ इक्यासी लाख सरसठ हजार

(जान्हवी मोहन)
**वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी**
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन